कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक (राज.)

क्रमांक : स्था./2021/1/9882 दिनांक :30/11 /2021

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या : 14/विविध/2021 दिनांक 18.11.2021 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2021 से 31.12. 2021 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय बन्द रहने से उक्त अवकाश अवधि में इनकी अपुस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो उक्त सेशन न्यायालयों के समक्ष पेश किये जायेंगे या लम्बित है, उन्हें सुनने व निपटाये जाने तथा उक्त न्यायालयों का आवश्यक सिविल कार्य भी निपटाये जाने हेतु अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा/निवाई/उनियारा/टोडारायसिंह को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम न्यायालय	अवधि
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	दिनांक 25.12.2021 से 27.12.2021
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	दिनांक 28.12.2021
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	दिनांक 29.12.2021
4	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	दिनांक 30.12.2021
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	दिनांक 31.12.2021

उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमाण्ड) सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र/सेशन खण्ड के लिये निम्नलिखित अधिकारियों को आवश्यक एवं दैनिक कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम न्यायालय	अवधि
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	दिनांक 25.12.2021 से 27.12.2021
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	दिनांक 28.12.2021
3	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	दिनांक 29.12.2021
4	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	दिनांक 30.12.2021
5	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	दिनांक 31.12.2021

उक्त न्यायालय राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोडकर दिनांक 25.12.2021 से 31.12.2021 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में उपरोक्तानुसार खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं कर सकेंगे तथा अन्य सभी न्यायालय उक्त शीतकालीन अवकाश में बन्द रहेंगे।

उक्त न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु न्यायिक सेवा केन्द्र,

केन्द्रीय नजारत शाखा, प्रतिलिपि शाखा व अभिलेखागार शाखा राजपत्रित एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25.12.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक शीतकालीन अवकाश में उपरोक्तानुसार खुले रहेंगे। इन शाखाओं के कर्मचारीगण उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अधीनस्थ न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे शीतकालीन अवकाश अवधि में रजिस्टरों का वार्षिक गोश्वारा तोड़ें, निर्णीत पत्रावलियों को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु तैयार करें तथा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मानचित्र आदि का कार्य पूर्ण कर लें।

sd
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 30/11/2021

क्रमांक : स्था. / 2021 / 1 / 9883-9929 दिनांक : 30 / 11 / 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. आदेश पत्रावली
2. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके आदेश संख्या : 14 / विविध / 2021 दिनांक 18.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
3. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक
4. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 टोंक
5. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सा.दं.प्र.) एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, टोंक
6. विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा. / ज.जा (अ.नि.) प्रकरण, टोंक
7. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक / मालपुरा / निवाई
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
10. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
11. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा / उनियारा / निवाई / टोडारायसिंह
12. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड, टोंक
13. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक / मालपुरा / निवाई / उनियारा / देवली / दूनी
14. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली
15. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / देवली / निवाई
16. प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार / प्रतिलिपि / नजारत शाखा, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
17. नोडल ऑफीसर, जिला स्तरीय कम्प्यूटर समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक
18. जिला कलेक्टर, टोंक
19. जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक
20. सहायक निदेशक, अभियोजन, टोंक
21. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक / मालपुरा
22. अध्यक्ष, अभिभाषक संध, टोंक / मालपुरा / निवाई / उनियारा / देवली / टोडारायसिंह / दूनी
23. कोर्ट मैनेजर / रीडर / मुंसरिम जिला न्यायालय, टोंक
24. सिस्टम ऑफीसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आदेश को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेवसाईट पर अपलोड करें।
25. संबंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
टोंक (राज.) 30/11/2021